**जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड**
(जन–सम्पर्क अनुभाग)
(प्रेस विज्ञप्ति)

# छीजत कम करने वाले कर्मचारियों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि

जयपुर, 10 नवम्बर। विद्युत वितरण निगमों के समग्र तकनिकी एवं वाणिज्यिक हानि में कमी करने में महत्वपूर्ण योगदान एवं अन्य उत्कृष्ट कार्य करने वाले डिस्कॉम कर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है। अगले वित्तीय वर्ष इस प्रोत्साहन योजना की समीक्षा की जाएगी।

ऊर्जा राज्य मंत्री श्री पुष्पेन्द्र सिंह ने बताया कि तीनों डिस्कॉम के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को समग्र तकनिकी एवं वाणिज्यिक हानि का कम करने में महत्वपूर्ण योगदान करने एवं उत्कृष्ट सेवाएं के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए दो प्रोत्साहन योजनाओं को सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी है। पहली प्रोत्साहन योजना ओ एण्ड एम उप–खण्डों के लिए है एवं दूसरी विभाग के लिए उत्कृष्ट सेवाएं देने वालों को सम्मानित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना है।

## ओ एण्ड एम उप–खण्डों के लिए प्रोत्साहन योजना

यह योजना ओ एण्ड एम सब–डिवीजनों में कार्य करने वाले स्थाई कर्मचारियों एवं परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के लिए लागू होगी। ठेके पर, सलाहकार के रुप में, सुरक्षा गार्ड जो ठेके पर कार्य कर रहे है, स्वैच्छिक सेवानिवृत कर्मचारी, सेवा से त्यागपत्र देने वाले कर्मचारी, पार्ट टाईम कर्मचारी एवं वर्ष के दौरान सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों के लिए यह योजना लागू नही होगी।

## कार्यकुशलता की गणना

प्रोत्साहन राशि देने के लिए ओ एण्ड एम सब–डिवीजनों के कर्मचारियों की उपलब्धि का निर्धारण समग्र तकनिकी एवं वाणिज्यिक हानि के लक्ष्यों के आधार पर गणना की जाएगी।

## अधिकतम प्रोत्साहन राशि

प्रत्येक अभियन्ता / कर्मचारी को अधिकतम प्रोत्साहन राशि एक माह के मूल वेतन के बराबर जो कि मार्च, 2016 में देय होगा।

## प्रोत्साहन राशि की गणना

प्रोत्साहन राशि की गणना मार्च, 2015 के बाद समग्र तकनिकी एवं वाणिज्यिक हानि को कम करने के लिए लक्ष्य की प्राप्ति के आधार पर की जाएगी। इस कार्य के लिए नियुक्त अंकेक्षक / तृतीय पक्ष के द्वारा इसका सत्यापन किया जाएगा।

## विशेष प्रोत्साहन योजना

प्रत्येक डिस्कॉम के 10 कर्मचारी जिन्होंने विभाग के लिए उल्लेखनीय सेवाएं दी है उनको ऊर्जा दिवस के अवसर पर ऊर्जा चक्र से सम्मानत किया जाएगा।

ऊर्जा राज्य मंत्री ने बताया कि इस योजना के लागू होने से एक ओर जहां डिस्कॉम के घाटे में कमी आएगी वहीं दूसरी और उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन भी मिलेगा।

———————————

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 320 / 2015